Witness No.-01---, for --- .... परीवादी साक्षी.....Deposition taken on the–03-08-2026--- day of ----------, Witness's apparent age -- -59- Years---------- States on affirmation - -----शपथपूर्वक---------- My name is ...मारतण्ड सिंह ठाकुर.... Son of.....श्री मदन सिंह ठाकुर.....occupation .....व्यवसाय..... Address- .....वार्ड क्रमांक 02 गुरूघांसी दास वार्ड चिखलाकसा, थाना राजहरा, जिला बालोद छ0ग0.....

आपराधिक प्रकरण क्रमांक–976/2024
मारतण्ड सिंह ठाकुर वि0 हितेश कुमार जंघेल
साक्ष्य समय–03.33 बजे से

टीपः– साक्षी द्वारा शपथ पत्र के अंतर्गत धारा 145 एनआईए दिनांक 01.07.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कंडिका 1 से 06 है। परिवादी को आज दिनांक 03.08.2026 को शपथ दिलाकर, परिवादी का मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया जा रहा है।

मुख्य परीक्षण अधिवक्ता सुश्री शारदा पटेल वास्ते परिवादी

07. मैने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज पेश किया हूं। जिसकी मूल प्रति आज साथ लेकर आया हूं। पंजाब नेशनल बैंक सिविक सेंटर भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 का चेक क्रमांक–686917 दिनांक 22.05.2024, राशि रू. 4,00,000/– रूपये प्रपी–01, जिसके अ से अ भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। चेक जमा पर्ची प्रपी 2, चेक अनादरण ज्ञापन की प्रति प्रपी–03, अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.06.2024 प्रपी 4, डाक रसीद प्रपी 5, अधिवक्ता द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ इस टीप ''दांवा नहीं किया'' के साथ बंद लिफाफा प्रपी 6 है।

प्रतिपरीक्षण अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा वास्ते अभियुक्त

08. मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व से व्यापार कार्य करता हूं। मेरा दो बैंको में एकाउंट है जो क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा दल्लीराजहरा एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा दल्लीराजहरा है। मेरे बैंक के दोनों खाते सेविंग एकाउंट प्रकृति के है। मेरा जिम है तथा फर्म के रूप में मेरा कोई काम नहीं हैं। मेरे स्वतः का पेन नंबर है। जिसका क्रमांक AFTPT6045C है। मेरी आयकर की फाईल नहीं है और न ही मैं आयकर रिटर्न फाईल करता हूं।

09. यह कहना सही है कि मेरा इसी न्यायालय में धारा 138 परक्राम्य अधिनियम के पूर्व में भी दो केस पेश किया हूं तथा वर्तमान में एक केस पेश है। मेरे पूर्व प्रकरण कितने कितने राशि के रहे है काफी समय हो जाने के कारण आज मुझे याद नहीं है। मेरे द्वारा जिम के व्यपार करने से प्रति माह/प्रति वर्ष कितनी आय हो जाती है, नहीं बता सकता हूं।

10. प्रस्तुत प्रकरण में धनराशि 4 लाख रूपये किस मद से लाकर दिया था। व्यपार का पैसा कभी हाथ में रहता है कभी बैंक में जमा रहता है। मैंने धनराशि 4 लाख रूपये अपने हाथ में रखे पैसे को दिया था। उक्त राशि घरेलू संबंध के कारण दी थी। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं शपथ पत्रीय साक्ष्य तथा मांग सूचना पत्र में नगद 4 लाख रूपये की राशि किस स्थान पर किसके समक्ष प्रदान की गयी थी नहीं लिखा हुआ है। साक्षी स्वतः कहा कि घर पर आये थे तब दी गयी थी। यह कहना सही है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं शपथ पत्रीय साक्ष्य तथा मांग सूचना पत्र में 4 लाख रूपये घर पर दिया था उक्त बातें नहीं लिखी है।

11. प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 को बैंक में संग्रहण करने मैं स्वयं गया था। यह कहना सही है कि, मैं जब प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 को जमा करने गया था तो आरोपी हितेश कुमार मेरे साथ नहीं था। यह कहना सही है कि, मैं प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 को बैंक में संग्रहण के दौरान आरोपी को कोई सूचना नहीं दी गयी थी।

12. यह कहना सही है कि, व्यवसायिक कार्य तथा निजी कार्य दोनों भिन्न प्रकृति के होते है। प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 जिस दिन धन राशि प्राप्त की थी उस दिन नहीं दिया गया था। प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 में दिनांक 22.06.2024 के ब से ब नाम मारतण्ड सिंह ठाकुर, स से स एवं 4 लाख द से द, 4,00,000/– स से स, एक ही हस्तलिपि व एक ही स्याही से है मैं नही बता सकता हूं। यह कहना सही है कि, प्रकरण में प्रस्तुंत चेक प्रपी 1 संयुक्त खाते का चेक है। उक्त चेक में क्रमशः हितेश कुमार जंघेल एवं संतोषी जंघेल दो नाम दर्ज है। प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 में एक हस्ताक्षर दर्शित है। मैं नहीं बता सकता हूं कि प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 में 4,00,000 रूपये एवं हस्ताक्षर के निष्पादक की स्याही भिन्न भिन्न है। स्वतः कहा कि खुद भर कर दिया था।

13. प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 किस प्रकृति का चेक है मैं नहीं बता सकता हूं। यह कहना सही है कि, प्रकरण में प्रस्तुत चेक बचत खाते तथा संयुक्त खाता धारक से संबंधित चेक है। मैं यह नहीं बता सकता हूं कि प्रकरण में प्रस्तुत चेक एकाउंट पेय चेक है कि नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 सेल्फ प्रकृति का चेक है जिसका उपयोग खाता धारक स्वयं करता है।

14. यह कहना सही है कि, प्रकरण में प्रस्तुत संग्रहण रसीद प्रपी 2 मेरे स्वतः की हस्तलिपि में भरी हुई है। यह कहना सही है कि, संग्रहण रसीद प्रपी 2 के शेष भाग में धनआदेश प्रपी 1 को संबंधित बैंक में प्रेषित किया जाता है, उक्त शेष भाग संबंधित बैंक में सुरक्षित रहता है। यह कहना सही है कि, संग्रहण रसीद का शेष भाग भी मेरे द्वारा नाम, दिनांक राशि अंको एवं शब्दों में प्रवृष्टिया कर मेरे स्वयं का हस्ताक्षर कर भरा गया है।

15. यह कहना गलत है कि, प्रकरण में प्रस्तुत चेक की प्रविष्टिया जिस दिन मेरे द्वारा धनआदेश जमा किया गया था उस दिन भरी गयी है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि प्रकरण में प्रस्तुत धनादेश क्रमांक 686917 क्रमशः 686916 एवं 616918 के मध्य का चेक है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रकरण में प्रस्तुत धनादेश वर्ष 2021 की जारी चेक बुक से है।

16. मेरा आरोपी से पहचान काफी पूर्व से है लगभग 40–50 वर्ष पूर्व से है। यह कहना सही है कि, प्रकरण में प्रस्तुत चेक प्रपी 1 के पृष्ठ भाग में इ से इ एवं उ से उ हस्ताक्षरित है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि धनादेश के पृष्ठ भाग पर खातेदार का हस्ताक्षर सेल्फ चेक के परिस्थिति में लिया जाता है।

17. यह कहना सही है कि, प्रकरण मे प्रस्तुत प्रपी 3 बैंक का प्रींटेड फार्मेट दस्तावेज है। यह कहना सही है कि, बैंक से प्राप्त धनादेश में खाता क्रमांक होता है, उस खाता क्रमांक से ही आईडेंटिफाई होती है कि चेक उसके खाताधारक द्वारा जारी किया गया है। यह कहना सही है कि, प्रकरण में प्रस्तुत धनादेश ज्ञापन प्रपी 2 में खाता क्रमांक का उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि बैंक वाले भर कर दिये है।

18. यह कहना सही है कि, दिनांक 03.06.2024 को प्रेषित मांग सूचना पत्र प्रपी 4 में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। स्वतः कहा कि मेरे अधिवक्ता के द्वारा नेाटिस प्रेषित किया गया, जिसमें मेरे अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रपी 5 पोस्टल रसीद में किस पते पर मांग सूचना पत्र भेजा गया मैं नहीं बता सकता क्योकि उक्त पोस्टल रसीद में नहीं दिख रहा है। स्वतः कहा कि उसके बताये अनुसार पते पर भेजा था। यह कहना सही है कि, प्रपी 4 मांग सूचना पत्र में पता एवं समस्त समव्यवहार मेरे बताये अनुसार मेरे निर्देशानुसार भेजा गया है।

19. यह कहना सही है कि, 4 लाख रूपये नगद 500–500 रूपये के नोट रूप में मेरे द्वारा दिया गया था। यह कहना सही है कि, मेरे मांग सूचना पत्र, परिवाद पत्र, शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मेरे द्वारा 4 लाख रूपये 500–500 रूपये के नोट के रूप में दिया गया था। यह कहना सही है कि, मेरे द्वारा 4 लाख रूपये राशि के नगद दिये जाने का

संबंध में किसी प्रकार की लिखा पढी इकरानामा, वचन पत्र, पावती रसीद निष्पादित नहीं करायी गयी थी। स्वतः कहा कि घरेलू संबंध के कारण नहीं कराया था।

20. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि 20 हजार रूपये से उपर की राशि बिना लिखा पढी, दस्तावेज के नहीं दी जा सकती है।

21. यह कहना सही है कि, मांग सूचना पत्र प्रपी 4 दिनांक 03.06.2024 के पूर्व दिनांक 02.04.2023 राशि 18,000/– रूपये, दिनांक 23.06.2023 राशि 12,000/–रूपये, दिनांक 05.07.2023 राशि 5,000/– रूपये, दिनांक 05.08.2023 राशि 6,000/– रूपये, दिनांक 04.10.2023 राशि 8,000/– रूपये, दिनांक 15.10.2023 राशि 2,000/– रूपये, दिनांक 10.11.2023 राशि 2,000 रूपये, दिनांक 11.11.2023 राशि 6,000/– रूपये, दिनांक 18.12.2023 राशि 6,000/–रूपयें, दिनांक 08.01.2024 राशि 8,000/–रूपये जुमला राशि 73,000/–रूपये जो मेरे खाते में आरोपी द्वारा ट्रांसफर किया गया है जो क्रमशः 19 पृष्ठों में है, जो प्रपी डी1 है जिसपर संबंधित बैंक के अधिकारी का हस्ताक्षर प्रमाण किया गया है।

22. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रपी 6 का पोस्टल लिफाफा मय पावती अभिस्वीकृति इस कारण वापस हुआ क्योंकि मेरे द्वारा सही पते पर नहीं भेजा गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं है कि जिससे प्रतीत हो कि नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हुई हो। यह कहना गलत है कि, आरोपी से मेरा किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। यह कहना गलत है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र अपराध 138 परक्राम्य अधिनियम विधि के विपरित एवं झूठा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है।

साक्ष्य समय–04.39 बजे तक ।

वाचित सही स्वीकृत

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

गवाह के हस्ताक्षर

SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA
Digitally signed by SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA

(श्रीमति श्रद्धा सिंह श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दल्लीराजहरा, जिला–बालोद (छ०ग०)

SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA
Digitally signed by SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA

(श्रीमति श्रद्धा सिंह श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दल्लीराजहरा, जिला–बालोद (छ०ग०)